न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला. पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : श्री घनश्याम शर्मा, आर0ए0एस0

राजस्व वाद संख्या : 267/2013

वादीगण :-

1. राजूराम पुत्र श्री पोकराम
2. दुर्गाराम पुत्र श्री पोकरराम

जातिया-बावरी, निवासी-पाटवा
तह0-जैतारण, जिला-पाली (राज.)

बनाम

प्रतिवादीगण :-

1. मदनलाल पुत्र श्री पोकरराम
2. सोहनीदेवी पत्नी श्री पोकराम
3. सन्तोष पुत्री पोकरराम
   जातियान-बावरी,निवासीगण-पाटवा
   तह0-जैतारण, जिला-पाली (राज.)
4. तहसीलदार एवं उप पंजीयन
   अधिकारी, जैतारण (जिला-पाली)

राजस्व वाद बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

तारीख रजू:. 03/12/2013

उपस्थितः. 1. श्री देवाराम कटारिया एवं श्री प्रधुमन श्रीमाली अधिवक्ता, वादीगण।

-:: निर्णय ::-

दिनॉकः- 03/07/2015

वकील मय वादीगण ने एक राजस्व वाद बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय का प्रस्तुत किया हैं कि सरहद मौजा पाटवा, पटवार हल्का पाटवा मे वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 01 व 02 की पैतृक पुश्तैनी व कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 600/1 रकबा 7-4 बीघा, खसरा नम्बर 608 रकबा 4 बीघा व खसरा नम्बर 610 रकबा 13-15 बीघा की यानि कुल खसरा 03 कुल रकबा 25-09 बीघा की आई हुई है। उपरोक्त वर्णित आराजी वादीगण की पैतृक पुश्तैनी आराजी, जिस पर वादीगण का माफिक अपने हक व हिस्से अनुसार शांतिपूर्ण रूप से निरन्तर बिना किसी रोकटोक के कब्जा काश्त चला आ रहा है।नकल जमाबन्दी वादपत्र के साथ पेश है । जिसे वादपत्र का एक आवश्यक भाग माना जावें। वादीगण की वंशावली अनुसार मूल पुरूष रावत का पुत्र पोकर हुआ तथा पोकर प्रथम पत्नि जिमनाई (नाऔलाद फौत), द्वितीय पत्नि नर्बदा (फौत) के पुत्रगण दुर्गाराम व मदनलाल हुए। तृतीय पत्नि सोहनी के पुत्र राजूराम व पुत्री संतोष हुई। उपरोक्त वर्णित आराजी मे जो कि वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 01 व 02 की पैतृक व पुश्तैनी आराजी है तथा मौके पर वादीगण का बिना किसी रोकटोक के शांतिपूर्वक से काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है । परन्तु राजस्व रेकर्ड मे वादीगण का नाम दर्ज नही है तथा वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 01 के पिता एवं 02 के पति स्वर्गीय पोकर का देहान्त हो जाने के बाद प्रतिवादीगण संख्या 02 की नियत बद हो गई एवं उसने बाले बाले उक्त तमाम आराजी का म्युटेशन अपने नाम से वादीगण को उक्त भूमि से वंचित रखने की नियत से दर्ज करवा लिया है। जबकि उक्त आराजी मे वादीगण एवं प्रतिवादीगण का पैतृक पुश्तैनी आराजी होने के आधार पर समान हक व अधिकार बनता है । जिसको प्रतिवादीगण संख्या 02 ने नजर अंदाज कर केवल मात्र स्वयं व अपने पुत्रो को लाभांवित करने की नियत से व वादीगण को उक्त तमाम भूमि से बेदखल व वंचित करने की नियत से उनका नाम इस भूमि के राजस्व रेकर्ड मे दर्ज नही करवाया है । वादीगण का अपनी इस पुश्तैनी आराजी पर शांतिपूर्वक कब्जा है व काबिज होकर काश्त करते आ रहे है । परन्तु प्रतिवादीगण ने बदनियतीवश केवल मात्र अपना नाम म्युटेशन मे गलत दर्ज करवाया है । जबकि उनको ऐसा करने का कोई कानूनी व अधिकार प्राप्त नही है । इसी गलत इन्द्राज के आधार पर प्रतिवादीगण इस भूमि को अन्य रहन

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

बेचान व हस्तान्तरण करने को आमदा हुये इस बाबत वादीगण को पता चलने पर उन्होने वादीगण को दिनांक 05.11.2013 को मना किया तो प्रतिवादीगण ने एलानिया कथन किया इस भूमि मे तुम्हारा कोई हक व अधिकार नही हैं। इस भूमि को हम अजनबी केता को बेचान कर मौके पर कब्जा सुपुर्द कर देगे ।अब प्रतिवादीगण की नियत बद हो गई है एवं अब केवल अपने नाम का नाजायज फायदा उठाकर उक्त वादीगण की पैतृक पुश्तैनी आराजी को अजनबी केता को रहन , बैचान, बक्सीस व हस्तान्तरण करने पर आमदा है एवं वादीगण को मौके से बेदखल करने पर उतारू है । यदि प्रतिवादीगण अपने इन नापाक इरादो मे कामायाब हो जाते है तो वादीगण को असीम क्षति होगी, जिसकी क्षतिपूर्ति किसी कदर संभव नही है तथा वादीगण अपने जायज व समपैतिक अधिकरो से हमेशा के लिये महरूम हो जायेगें। तथा मौके पर विवाद होगा एवं वादीगण को प्रतिवादीगण के विरूद्ध विभिन्न प्रकार के मुकदमे करने पडेगे जिससे मल्टीप्लीसिटी ऑफ प्रोसिडिंग्स होगी इसलिए वादीगण के पास अन्य कोई विकल्प शेष नही रहने से यह वादपत्र बाबत स्थाई निषेधाज्ञा का विरूद्ध प्रतिवादीगण के पेश है ।प्रतिवादीगण संख्या 03 उपं पंजीयन अधिकारी एवं तहसीलदार जैतारण भूमिधारी राजस्थान सरकार होने से पक्षकार बनाया है । जिनके विरूद्ध वादपत्र प्रस्तुत करने से पूर्व 02 माह का विधिक नोटिस दिया जाना आवश्यक होता है परन्तु नोटिस देने मे लम्बा समय लगने की संभावना है इसलिये नोटिस देना डिस्पेन्सविथ कर यह वादपत्र अनुमति लेकर के श्रीमान् के समक्ष सादर प्रस्तुत किया जा रहा है । अनुमति हेतु प्रार्थना पत्र अलग से साथ पेश हैं। बिनायवाद दिनांक 05/11/2013 को प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण को उनकी पैतृक पुश्तैनी व हक व अधिकार की भूमि से जबरदस्ती बेदखल करने की एलानिया धमकी देने पर बमुकाम–पाटवा, तहसील–जैतारण जिला–पाली में पैदा हुआ, जो श्रीमान् के श्रवणां एवं क्षैत्राधिकार में है।

वादी का वाद दर्ज किया गया। प्रतिवादीगण को तलब किया गया। पत्रावली राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र–रास में पेश हुई। राजस्व शिविर में प्रतिवादीगण एवं वादी को तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 व 4 का सम्मन बावजूद तामिल के अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई। राजस्व लोक अदालत के सम्मन में प्रतिवादी संख्या 2 व 3 बावजूद तामिल के अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जाती हैं। वादी एवं प्रतिवादीगण एक ही पिता की संतान हैं। वादीगण के कब्जे काश्त में प्रतिवादीगण दखल करते हैं। वादी का वाद स्वीकार योग्य हैं।

–:: आदेश ::–

अतः डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा पाटवा, पटवार हल्का पाटवा मे वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 01 व 03 की पैतृक पुश्तैनी व कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 600/1 रकबा 7–4 बीघा, खसरा नम्बर 608 रकबा 4 बीघा व खसरा नम्बर 610 रकबा 13–15 बीघा की यानि कुल खसरा 03 कुल रकबा 25–09 बीघा में वादी के हिस्से में काश्त व बेचान करने से प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा के रोका जाता हैं। डिक्री पर्चा पृथक से बनाया जाकर सा0मि0 किया गया। तहसीलदार, जैतारण को लिखा जावे कि माफिक निर्णय के राजस्व अभिलेख में वादीगण का नाम दर्ज किया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। पत्रावली बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर/ लेख्य भण्डार जमा हो।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)
उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जिला.पाली (राज0)

निर्णय आज दिनॉक 03/07/2015 को राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र–रास पर सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)
उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जिला.पाली (राज0)

Scanned by CamScanner